



2026:AHC-LKO:20484

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1574 सन 2026

धन्मेश्वर @ धर्मेश्वर

..... आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव गृह विभाग लखनऊ

.....प्रतिवादी(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : सुनील कुमार, कल्पना

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 15

माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पूरक शपथ-पत्र अभिलेख में ले लिया गया है।

आरोपी-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आरोपी-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन पर जोर देते हुए कहा कि वर्तमान मामले के साथ-साथ गैंग चार्ट में उल्लिखित दोनों मामलों में भी आरोपी-आवेदक को झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि गैंग चार्ट में उल्लिखित दोनों मामलों में आरोपी-आवेदक को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उक्त जमानत आदेशों की प्रतियां जमानत आवेदन के अनुलग्नक संख्या 3 और 4 के रूप में अभिलेख में शामिल की गई हैं।

आगे यह तर्क दिया गया है कि गैंग चार्ट में उल्लिखित मामलों के अलावा, आरोपी-आवेदक के खिलाफ 12 अन्य मामले लंबित हैं, जिनमें से सभी में उसे जमानत मिल चुकी है। इस संबंध में पूरक शपथ-पत्र के प्रस्तर 3 में दलील दी गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उपर्युक्त मामलों के अलावा, आरोपी-आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा कि सह-आरोपी हरि शंकर को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2026 को जमानत आवेदन संख्या 1440 / 2026 में पारित आदेश के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है और वर्तमान आवेदक उक्त सह-आरोपी के साथ समानता का दावा करता है।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक 01.01.2026 से न्यायिक हिरासत में है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसके कानून की प्रक्रिया से भागने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करने और मामले की शीघ्र सुनवाई में सहयोग करने का वचन देता है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक को गैंग चार्ट में उल्लिखित मामलों में पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, उसने पूरक शपथ-पत्र में 12 अन्य मामलों के संबंध में अपने आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया है, कि उपर्युक्त सह-आरोपी को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है, और आवेदक की 01.01.2026 से कारावास की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय आवेदक को जमानत देने के लिए इसे उपयुक्त मामला पाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तदनुसार, जमानत आवेदन को **अनुमति** दी जाती है

आवेदक **धन्मेश्वर उर्फ धर्मेश्वर**, जो उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट / मुकदमा अपराध संख्या 0001 / 2026 में आरोपी है, पुलिस स्टेशन हरियावां, जिला हरदोई, को संबंधित मजिस्ट्रेट / न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के निजी मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ न्याय के हित में जमानत पर रिहा किया जाए:

- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा;
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।
- (iv) आवेदक उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (4) के तहत शपथ-पत्र पर वचन देगा कि वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा या किसी भी प्रकार के अपराध में शामिल नहीं होगा।

मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, निचली अदालत / संबंधित न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली कोई अन्य शर्तें भी लगाई जा सकती हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं और मुकदमे के गुण-दोष पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मार्च 20, 2026

मधु जे.आर./पी.एस

[न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।